फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर), जिला उदयपुर

बनाम

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मंगलवाड़ पं. स. डूंगला

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या ५२/2021

२०२१/158

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/04/21	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर) जिला उदयपुर द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन कमांक 126/804 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ को प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला) से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राज.) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official